

gfj ; k. kk fo/kku | Hkk

exyokj] 5 uoEcj] 2019 dks jkT; i ky egkn; ds vfHkkHkk'k.k dh | ekflr ds rjUr vk/kk ?k. Vk i pk~ fo/kku Hkou] p.Mhx<+ e gfj ; k. kk fo/kku | Hkk ds gky e gkus okyh gfj ; k. kk fo/kku | Hkk dh cBd dh dk; 1 iphA

I. jkT; i ky egkn; ds vfHkkHkk'k.k dh , d i fr j [kuk

अध्यक्ष महोदय सदन को प्रतिवेदित करेंगे कि राज्यपाल महोदय ने 5 नवम्बर, 2019 को 10.30 बजे प्रातः हरियाणा विधान सभा के सम्मुख अभिभाषण देने की कृपा की थी तथा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति मेज़ पर रखेंगे।

II. अध्यक्ष महोदय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 के अधीन जारी की गई भारत के निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं0 308/एच ए आर—एल ए/2019, दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 की प्रति सदन की मेज़ पर रखेंगे।

III. "kkd i Lrko

, d e=hl Loxh;

1. श्रीमती सुषमा स्वराज, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री;
2. श्री अरुण जेटली, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री;
3. श्री देवी दास, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य;
4. हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी;
5. हरियाणा के शहीद;
6. अन्य

के देहावसान का उल्लेख करेंगे।

IV. fu; e 121 ds v/khu i Lrko

, d e=hl प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध जहाँ तक कि वे :-

- i) लोक लेखा समिति ;
 - ii) प्राक्कलन समिति ;
 - iii) लोक उपक्रमों संबंधी समिति ; तथा
 - iv) अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति
- के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2019–2020 की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए।

; g Hkk प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों/ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2019–2020 की शेष अवधि के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामज़द करें।

v. I nu dh est i j j [ks tkus okys@i u%j [ks tkus okys dkxt&i =

1. , d हरियाणा अभियन्ता सेवा, ग्रुप–क, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2019.(2019 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2) मेज पर रखेंगे।
2. , d हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 21/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 मेज पर पुनः रखेंगे।
3. , d हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 22/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 मेज पर पुनः रखेंगे।

275. , d e॥ हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 91/जी.एस.टी-2, दिनांकित 1 अक्टूबर, 2019 मेज पर रखेंगे।
276. , d e॥ हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 92/जी.एस.टी-2, दिनांकित 1 अक्टूबर, 2019 मेज पर रखेंगे।
277. , d e॥ हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 93/जी.एस.टी-2, दिनांकित 1 अक्टूबर, 2019 मेज पर रखेंगे।
278. , d e॥ हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 94/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अक्टूबर, 2019 मेज पर रखेंगे।
279. , d e॥ हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 95/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अक्टूबर, 2019 मेज पर रखेंगे।

VI. jkT; i ky egkn; ds vfhkHkk' k. k i j ppkl dk i ujkjEHk.k rFkk /kU; okn i Lrko i j ernkuA

5 नवम्बर, 2019 को श्री कंवर पाल, एम.एल.ए. द्वारा प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा

अर्थातः—

“कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाएः—

‘कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 5 नवम्बर, 2019 को 10.30 बजे प्रातः सदन में देने की कृपा की है।’।”

p. Mhx<%
4 uoEcj] 2019-
I fpoA

jkTuNi dkj ukny]